



हर रिश्ते का रखे ख्याल...



ओसवाल सोप ग्रुप

नाम ही है भरोसे की पहचान

69 वर्षों से ओसवाल सोप ग्रुप हर कदम पर दे रहा है आपका साथ,
रखकर आपकी हर जरूरत का खास ख्याल...

आपके पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार
नीरवी पशु आहार

नेचुरल ऑयल से बना ओसवाल सोप,
कपड़ों और हाथों को रखे कोमल सालों - साल



ज्यादा सफाई



कपड़ों की देखभाल



कम पानी में धुलाई



त्वचा का पूरा ख्याल



अखाद्य तेल से बना



वर्षों का विश्वास

Disclaimer: Brand ambassadors represent different product categories of M/s Uttam Chand Des Raj (Oswal Soap Group). Mr. Anupam Kher endorses Pashu Aahaar, and Mr. Paresh Rawal endorses Oswal Soap Products. Their joint appearance is promotional, not a shared endorsement.



ओसवाल सोप ग्रुप



अधिक जानकारी के लिए

+91 91161 71956, 96802 01956 पर कॉल करें

विपणन :

उत्तम चन्द देसराज

अब घर बैठे मँगवाये ओसवाल उत्पाद



OswalSoap.com पर जाएं या

स्कैन करें और ओसवाल ऐप डाउनलोड करें



विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। -जॉन्सन

क्या परिसीमन पर लगी रोक को सन् 2026 से 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता?

संविधान के अनुसार परिसीमन आबादी के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि जनगणना के बाद सीटों का एडजस्टमेंट नये सिरे से होगा। परिसीमन (Delimitation) एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी देश या राज्य में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाता है, ताकि जनसंख्या में बदलाव को ध्यान में रखते हुये चुनावी क्षेत्रों को न्याय संगत रूप से विभाजित किया जा सके, फलस्वरूप सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक का वोट समान मूल्य का हो। यह कार्य परिसीमन आयोग, जो एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 82 व अनुच्छेद 170 के अनुसार किया जाता है, इसकी सिफारिश बाध्यकारी है, इसके आदेशों में कोई दखल नहीं दे सकता। कोर्ट का भी दखल नहीं है। अनुच्छेद 81 व अनुच्छेद 82 को समझने के लिये हमें इनमें जो संशोधन हुये हैं, उन्हें गहराई से समझना होगा विशेषकर संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 आदि।

चुनावी प्रक्रिया को अधिकतांत्रिक बनाने के लिये परिसीमन जरूरी है। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के बदलाव के कारण, सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिलना चाहिये। परिसीमन के समय अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर सीटों का निर्धारण होना चाहिये।

यह निर्विवाद कथन है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटें पुनः नये सिरे से तय होती हैं। एक विचार धारा के अनुसार सत्तर के दशक में एमएनएलसी के समय उस समय की कांग्रेस सरकार ने परिसीमन के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों का आवंटन रोक दिया था ताकि परिवार नियोजन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व के विषय पर कोई नुकसान नहीं हो। उस समय यानी 2001 में वाजपेयी सरकार थी। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमायें नये सिरे से निश्चित की गईं, किन्तु दक्षिण में विरोध के कारण सीटों में बदलाव नहीं हो सका। उत्तर व दक्षिण के राज्यों में टकराव का कारण है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उत्तर के राज्यों के मुकाबले में उनकी सीटें परिसीमन से कम हो जायेंगी। उनका कहना है कि आबादी नियंत्रण को ध्यान में सहयोग देने के कारण उन्हें यह सजा दी जा रही है जो उचित नहीं है।

दक्षिण के लगभग सभी राज्य डीएमके की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वहीं उत्तर के हिन्दी बोलने वाले राज्य बंटे हुये हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तामिलनाडु को सहयोग दे रहे हैं और आरजेडी परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। तामिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन हुआ है, उसने परिसीमन में पारदर्शिता की मांग की है। समिति ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि अगले 25 साल तक लोकसभा की संख्या जो 543 है उसे यथावत रखा जावे।

यहाँ यह कहना उचित होगा कि अब तक 4 परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 व 2002 में बने हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार यह स्पष्ट है कि 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज करने का प्रावधान संवैधानिक है। इससे यह भी निश्चित हो चुका है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर सीटों का नये सिरे से समायोजन/समन्वय/सुधार/सामंजस्य (Adjustment) होगा। उपरोक्त लिखे गये तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 82 भी यही संदेश देता है कि जनगणना के बाद ही एडजस्टमेंट होगा। साथ ही यह भी सिद्धान्त स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 81 के तहत एक नागरिक एक वोट और एक कीमत का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

जैसा ऊपर लिखा है कि परिसीमन आबादी के साथ जुड़ा हुआ है। 1971 में जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 थी उस समय आबादी 55 करोड़ थी। अब आबादी 145 करोड़ हो चुकी है अतः ये सीटें 850 तक हो सकती हैं। सम्भवतः यही कारण है कि लोकसभा की नई बिल्डिंग में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आबादी बढ़ने से एक एमपी पर 20 से 28 लाख तक की आबादी का भार है। कुछ नेता तो यहां तक कहते हैं कि हमारे एमपी ऑवर टाइम काम करते हैं। टीवी

क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता। नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों।

दूँढ़ना ही होगा। विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिये हैं। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की रणनीति पर चलते हुये, एक नया नारा दिया है, "जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक।"

केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिये उन्हें दण्डित नहीं किया जावेगा। उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। देश के गृहमंत्री अमित शाह भी सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रोटेक्टा के अनुसार राज्यों में सीटों का वितरण होगा। किसी भी राज्य में सीटें कम नहीं होंगी।

परिसीमन की समस्या को निपटने के कई विकल्प सुझाये जा रहे हैं। संसद 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर चुकी है। इसके योजना के साथ लागू किया जावे। जनगणना हो और उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बाद में विशेषज्ञों से सलाह लेकर परिसीमन किया जावे। 33% सीटें बढ़ाई जावें। महिला आरक्षण से बढ़ने के बाद संसद की सीटें 543 से 722 होगी। इन्हें गणना की सरलता के लिये 725 किया जावे। ये सीटें 15 वर्ष के लिये बढ़ाई जावे। संसद चाहे तो 15 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह ध्यान रहे कि एमपी व एमटी के आरक्षण की 33% सीटें इस वर्ग की महिलाओं के लिये निश्चित की जावे।

एक अन्य प्रक्रिया में वोट संख्या से सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्टालिन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जावे। इसके अनुसार लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 543 से सीमित किया जावे और आगे आने वाले 25 वर्षों तक सीटें न बदलें। इस संबंध में केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जा सकता है, जिस पर सदन में चर्चा हो। कुछ विशेषज्ञों ने और भी सुझाव दिये हैं। इन सब पर चर्चा होनी चाहिये। सभी सुझावों का अधार होगा कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम न हों। ऐसा कोई कदम न बढ़ाया जावे जिससे ट्राबल सीटों में कमी हो। कानून के अनुसार परिसीमन जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम संसद पारित करे। आयोग का गठन करे जो भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करते हुये कार्य करे। प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानसभा हो। 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पाण्डिचेरी में यह व्यवस्था है।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परिसीमन का विवाद देश के लिये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह कयास लगाया जा रहा है कि चूँकि बीजेपी उत्तर में अच्छी स्थिति में है अतः वह परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करना चाहती है। बीजेपी से जो पार्टियाँ विरोध में हैं वे एक साथ खड़ी होकर उत्तर दक्षिण की लड़ाई को हवा देना चाहती हैं। चेन्नई में हुई जोइन्ट एक्शन कमेटी की मीटिंग में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि विपक्ष के साथ दक्षिण की पार्टियों के अतिरिक्त पंजाब व उड़ीसा के राजनेता भी साथ दे रहे हैं। इण्डिया के सभी घटक दलों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण का विवाद पुनः जिन्दा हो उठा है। जोइन्ट एक्शन कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है कि परिसीमन पर लगी रोक, जिसका उल्लेख ऊपर किया है, इसे 25 वर्ष और बढ़ाकर 2050 तक कर दिया जावे। अन्यथा उत्तर का वर्चस्व हो जावेगा। अनुच्छेद 82 के अनुसार मियाद 2026 में समाप्त हो रही है। तेलंगाना के नेता यह कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन सम्भव है किन्तु लोकसभा की सीटें न बढ़ाई जावें। उनका विश्वास है कि अनुसूचित व जनजाति के आरक्षित सीटें बढ़ाई जावें और 33% महिला आरक्षण देने से समस्या का समाधान हो सकता है। लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 है इनमें 24% सीटें अर्थात् 130 सीटें दक्षिण राज्यों की हैं, इसे 33% बढ़ाया जावे। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। वित्तमंत्री का कहना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या आधारित नहीं है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीति की पालना की है अतः उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता। असमंजस की स्थिति है, पिक्चर स्पष्ट नहीं है। विवाद है, इसका समाधान तो दूँढ़ना ही होगा। देश विकास के मार्ग पर बढ रहा है, इसकी गति नहीं रूकनी चाहिये।

प्रश्न है क्या परिसीमन पर लगी रोक को 25 वर्ष और नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे 2050 तक विवाद पर रोक लग जावेगी। संविधान के अनुच्छेद 82 में जो संशोधन 2026 के पश्चात् की गई जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होने तक के बावत है, वैसा ही प्रावधान संविधान संशोधन किया जावे। नेताओं के संग वार्ता व चर्चा कर समस्या का सर्वमान्य हल तलाशना ही देश हित में होगा। भारत विकास के मार्ग पर है, उसकी गति नहीं रूकनी चाहिये। हमें भारत को विकसित देश बनाना है। जहाँ देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय समता, समानता व समरसता से प्राप्त हों। भारत, तेरी जय हो, जय हो, जय हो।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

परिसीमन: लोकतंत्र की नई रूपरेखा और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम



राजेन्द्र राठौड़

दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी कहती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलित मतदाता संख्या हो। इन दिनों देशभर में लोकसभा / विधानसभाओं के परिसीमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं व बहस जारी है।

संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित उचित प्रतिनिधित्व के प्रावधान के अनुसार लोकसभा के सांसद को 5 लाख से साढ़े 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये परन्तु 1976 से अब तक परिसीमन पर 84वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक लोकसभा / विधानसभा के परिसीमन व पुनर्निर्धारण पर लगी रोक के कारण वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई।

समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और सामाजिक संरचना में बदलाव के कारण परिसीमन की जरूरत इसलिए भी बढ़ जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता की आवाज समान रूप से सुनी जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निर्धारित समयावधि के बाद संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित और मतदाताओं की संख्या पुनर्निर्धारित की

जाती है। वर्तमान में जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण जनप्रतिनिधि निर्धारित संख्या से कहीं ज्यादा आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार जब पूर्व में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था तब देश की आबादी 55 करोड़ थी जो आज 145 करोड़ से ज्यादा है। मौजूदा जनसंख्या के अनुसार अब एक सांसद 30 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाई जाना समय की स्वाभाविक संवैधानिक मांग है।

यह भी सही है कि पिछले पाँच दशकों में देश में जनसंख्या में वृद्धि असामान्य तौर से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। अब परिसीमन को लेकर तमिलनाडु व कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्य इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि उनको भय सता रहा है कि यदि लोकसभा सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 81 के आधार पर निर्धारित की गई तो उन्हें नुकसान होगा क्योंकि दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया है। इन राज्यों का यह मानना है कि परिसीमन होना उनके द्वारा किये गये अच्छे कार्यों के लिए दंड देने के समान ही है। इसी कारण से दक्षिण राज्यों के राजनीतिक दल आगामी 25 तक लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के लोगों को आश्वस्त किया है कि दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा की एक सीट भी कम नहीं होगी। अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा। वर्तमान में दक्षिण के

पाँच राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के राज्यों में लोकसभा के 543 सदस्यों में से 130 सदस्य चुनकर आते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 82 का यह प्रावधान है कि देश में प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। यह आयोग दो प्रमुख कार्य करेगा। पहला - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा ताकि जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करेगा जिससे इन वर्गों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के निर्धारण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सीटें तक हो सकती हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हर 10 वर्ष पर जनगणना होगी और उसके आंकड़ों के आधार पर हर 10 वर्ष में परिसीमन होगा और लोकसभा / विधानसभाओं में आवश्यकता होने पर सीटों में बदौती होगी। संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

भारत में परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुई जब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था। अब तक भारत में चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है - 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इस आयोग को संविधान द्वारा विशेष शक्तियाँ और स्वायत्तता प्रदान की गई है जिससे इसके निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

1952 में भारत में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं, जो 1973 में

बढ़कर 543 हो गईं। हालाँकि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन पर 25 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 25 वर्षों के लिए परिसीमन को और टाल दिया। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2001 के संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या अब 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है।

अंतिम परिसीमन के बाद से लेकर अब तक जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया है, जिससे कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक हो गई है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदाता हैं। इससे एक असंतुलन पैदा हो गया है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

आज देश में सांसदों पर जनप्रतिनिधित्व का असंतुलन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। लक्षद्वीप में एक सांसद मात्र 48,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक सांसद 20-30 लाख लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों की आवाज उतनी प्रभावी ढंग से संसद में नहीं पहुँच पाती। इसलिए परिसीमन वर्तमान की आवश्यकता है। भारत में प्रति सांसद औसत जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य लगभग 7.4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन में यह संख्या 6.1 लाख है।

लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरिक को

प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है। इसलिए जब भी परिसीमन किया जाता है, तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है।

एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत के तहत, हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। परिसीमन का उद्देश्य प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है जिसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह अकेला निर्धारक नहीं हो सकता। जैसे एमपी-एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पहचान-आधारित प्रतिनिधित्व दर्शाती हैं, वैसे ही राज्यों का प्रतिनिधित्व भी केवल जनसंख्या पर निर्भर नहीं रह सकता। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए यदि 33 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाती हैं तो कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी। यह न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करेगा बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को भी अधिक समावेशी बनाएगा।

केन्द्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी राज्यों को समान अवसर मिले और देश की संघीय संरचना मजबूत हो। साथ ही दक्षिण राज्यों की सभी आशंकाओं को भी दूर कर रही है। परिसीमन केवल राजनीतिक संतुलन का मुद्दा नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा - "एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य" - के सिद्धांत को सुनिश्चित करने का एक जरिया भी है। यदि इसे निष्पक्षता और समर्थन से लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत प्रभावी और प्रगतिशील बना सकता है।

-राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

सांवलिया जी सेठ के भंडार से 4.87 करोड़ रुपए की आमद

गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न



भंडार से निकली राशि की मंदिर कर्मचारियों ने गिनती की।

मंडफिया, (निसं)। भगवान श्री सांवलियाजी के दरबार में गत 28 मार्च को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती दो चरणों में संपन्न हुई। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया बुधवार शाम को संपन्न हुई दूसरे चरण की गिनती से 7 लाख 2 हजार 895 रूपए की नगद प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्रथम चरण में हुई भंडार गिनती से 4 करोड़ 80 लाख 27 हजार 911 रूपए नगद प्राप्त हुई

थे। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि दोनों चरणों की गिनती को मिलाकर भंडार से 4 करोड़ 87 लाख 30 हजार 806 रूपए नगद प्राप्त हुए। टेलर ने बताया कि भंडार से निकले सोने-चांदी एवं मंदिर कार्यालय में जमा सोने चांदी का तोल भी किया गया, जिसमें भंडार से 60 ग्राम सोना व 18 किलो 900 ग्राम चांदी प्राप्त हुई एवं मंदिर कार्यालय से 33 ग्राम 900 मिलीग्राम सोना एवं 28 किलो

685 ग्राम चांदी मेट स्वरूप प्राप्त हुई। भंडार गिनती में भादसोड़ा नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, संपदा प्रभारी भैरवगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, लेहरी लाल गाडरी, कालुलाल तेली, बिहारीलाल गुर्जर, जितेन्द्र त्रिपाठी सहित मंदिर एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित थे।

स्कूटी नहीं मिलने पर छात्राओं का प्रदर्शन

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में काली बाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 की एक हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी का आज भी इंतजार है। स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिन में स्कूटी वितरण की मांग की है। वहीं 15 दिन में स्कूटी नहीं मिलने पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में चयनित मेधावी छात्राएं गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचीं। इस दौरान स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर

छात्राओं ने बताया कि कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 में एक हजार 168 छात्राओं का चयन हुआ था, जिसमें से 168 छात्राओं को तो स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। वहीं शेष एक हजार छात्राओं को आज तक स्कूटी का वितरण नहीं हुआ है, जबकि सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके नाम से स्कूटी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। स्कूटियां टीवीएस कम्पनी के डीलर के गोदाम में पड़े-पड़े खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार ने उन स्कूटियों का अभी तक भी वितरण नहीं किया है। मेधावी छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर 15 दिन के अंदर स्कूटी का वितरण करने की मांग की है।

मंदिर और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा

डूंगरपुर, (निसं)। ग्राम पंचायत माडा के लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने मंदिर, सार्वजनिक जमीन और पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन से अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत माडा के सरपंच, उप सरपंच रमेश लबाना, पंचायत समिति सदस्य, वार्डपंच समेत गांव के लोग गुरुवार को कलेक्ट्री पहुंचे। लोगों ने कलेक्ट्री के सामने अवैध अतिक्रमण को

लेकर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायत माडा में मुख्य आबादी भूमि खसरा नंबर 3039 रकबा 0.1000 है। इस खसरे में राधाकृष्ण मंदिर, माताजी मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, प्राइमरी भवन पुराना, सामुदायिक भवन और पार्क की भूमि है। ये पूरी जमीन गांव की सामूहिक है, लेकिन इस जमीन पर गांव के प्रभु पुत्र पाडकी लबाना, शंकर पुत्र पाडकी लबाना, प्रशांत पुत्र पाडकी लबाना की ओर से अवैध अतिक्रमण कर लिया है।

राशिफल शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, आर्द्रा नक्षत्र शनिवार प्रातः 5:32 तक, शोभन योग रात्रि 9:45 तक, गर करण प्रातः 8:57 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज रात्रि 8:13 से आरम्भ होगा। आज से जैन ओली और दुर्गा पूजन (बंगाल) आरम्भ होगा। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:51 तक, लाभ-अमृत 7:51 से 10:57 तक, शुभ 12:29 से 2:02 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:39

मेघ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन व्यावसायिक कार्यों के संबंधित यात्रा संभव है। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क व्यक्तित्व परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। आज स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज संभावित खोत से धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक चन्द्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ने का भय है। भावनात्मक कारणों से परेशानी हो सकती है।

धनु घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मीन घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

बोनस देने की मांग को लेकर श्रमिकों ने संगम इंडिया लिमिटेड में उत्पात मचाया

भीड़ को तितर-भीतर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, कई श्रमिक घायल

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लिमिटेड में गुरुवार को श्रमिकों ने बोनस देने की मांग को लेकर उत्पात

■ उत्पात और पथराव को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन किया

■ आरोप है कि प्रबंधन ने बोनस सभी श्रमिकों को न देकर आधे श्रमिकों को ही दिया था



हमीरगढ़ क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लि. में श्रमिकों ने बोनस देने की मांग को लेकर उत्पात मचाया और पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर दी।



मचाया। फैक्ट्री और तैनात पुलिस की डायल 112 जीप में तोड़फोड़ किए जाने से माहौल गरमा गया। अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उधर, उत्पात और पथराव को लेकर पुलिस ने पांच लोगों को डिटेन कर लिया है। इस संबंध में

पुलिस प्रकरण भी दर्ज कर रही है।

हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि स्वरुपगंज क्षेत्र स्थित संगम इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन से श्रमिकों से 3-3 हजार रुपये बोनस देने का वादा किया था। आरोप है कि प्रबंधन ने यह बोनस सभी श्रमिकों को न देकर आधे श्रमिकों को ही दिया, जबकि शेष आधे श्रमिक बोनस नहीं मिलने से नाराज थे। इसी को लेकर गुरुवार को नाराज श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन व हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस वाहन डायल 112 मौके पर पहुंचा। फैक्ट्री प्रबंधन की मांगों पर अनदेखी से नजर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन श्रमिकों ने फैक्ट्री के साथ ही वहां खड़े पुलिस के डायल 112 वाहन पर भी पथराव कर दिया, जिससे वाहन के शीशे टूट गये। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही एएसपी, डीएसपी व थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को

समझाईश कर शांत कराया। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें आधा दर्जन श्रमिक घायल हुए। उधर, पुलिस ने फैक्ट्री और पुलिस वाहन पर पथराव फैकने के मामले में मुकदमा दर्ज कर पांच संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है।

समझाईश कर शांत कराया। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें आधा दर्जन श्रमिक घायल हुए। उधर, पुलिस ने फैक्ट्री और पुलिस वाहन पर पथराव फैकने के मामले में मुकदमा दर्ज कर पांच संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है।

कुएं से नहीं मिला वृद्ध का शव, पांच दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वृद्ध के शव को तलाशने के लिये पांच एलएनटी मशीनें, पांच पंप, जनरेटर काम में लिए जा रहे हैं

टोंक, (निसं)। पीपलू थाना क्षेत्र के जंबाली गांव में 29 मार्च से लापता वृद्ध का शव गुरुवार को भी कोई सुराग नहीं लगा, उसकी तलाश में 5 एलएनटी मशीनें, 5 पानी निकालने के पंप, जनरेटर काम में लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद गुरुवार दोपहर तक भी लापता वृद्ध नहीं मिल पाया है, इसकी प्रमुख वजह कुएं में पानी का रिसाव तेज गति से होने और कुएं के निचले हिस्से में मिट्टी ढहने से रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जंबाली ग्राम निवासी कैलाश (65) पुत्र प्रताप यादव जो 29 मार्च को भैस को चराने

■ कुएं में पानी का रिसाव तेज होने और निचले हिस्से में मिट्टी ढहने से रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो रहा है

के लिए खेतों को ओर गया था, जो शाम को लौटकर नहीं आया तो परिवारों अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला, जिसकी 30 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि लापता व्यक्ति का

साफा गांव के सहोदरा नदी के पास स्थित करीब 40 फीट गहरे कुएं में मिला है, वहीं कुएं के आसपास ही उनकी लकड़ी व पानी की बोतल भी मिली है। पुलिस प्रशासन द्वारा पांच दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वही 2 अप्रैल को कुएं के बराबर में 3 जेसीबी एक लोडर व एक एलएनटी मशीन से खुदाई शुरू कर गड्ढा बनाया, लेकिन निचले हिस्से में मिट्टी ढहने और पानी का रिसाव ज्यादा होने से रेस्क्यू टीम कुएं के बीचों-बीच पड़े मलबे को हटा नहीं पा रही है।

कार से टकराकर नदी में गिरा ट्रक, 12 घायल



पाली में कार से टकराकर ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 40 फीट नीचे नदी में गिर गया।

पाली, (निसं)। पाली में गुरुवार दोपहर को कार से टकराकर ट्रक अस्तुलित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर करीब 40 फीट नीचे नदी में गिर गया। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल लाया गया। वहां उनका उपचार जारी है।

सदर थाने के सब इस्पेक्टर ओमप्रकाश विश्वेश्वर ने बताया कि पाली-जोधपुर हाइवे पर दोपहर को चारे

■ घायलों को बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया

से बरा ट्रक पनूयता औद्योगिक क्षेत्र के निकट हाइवे पर अस्तुलित होकर पलटकर नदी में गिर गया। इस हादसे करीब 11 जने घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। पाली से जोधपुर

की तरफ जाते समय ये हादसा हुआ। इस हादसे में बाड़मेर जिले के (अजबानी) बृथिया निवासी मोहम्मद पुत्र इलियास खान, रसूल पुत्र पीनल खान, रोशन पुत्र अमर खान, आमीन पुत्र नूरा खान, अबन खान, असकर खान, अकबर, कालू खान, इशाक खान, इरफान और शकूर खान घायल हो गये। सभी घायल रिश्तेदार हैं और कारा बचने के काम से जुड़े हैं।

एनडीपीएस मामले में दो व्यक्तियों रिश्वतखोर दो कांस्टेबल को को 14-14 साल का कारावास न्यायालय ने जेल भेजा

तारानगर, (निसं)। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने अभियुक्त हरियाणा के बलजीत सिंह व अजमेर सिंह को 10 साल पहले दर्ज एनडीपीएस मामले में 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक सरकार की ओर पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज स्वामी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को तारानगर क्षेत्र के साहवा सड़क के पास से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 200 किलो मादक पदार्थ (डोडा-पोस्ट चूरा) बरामद हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाठे हुए, अदालत ने आरोप तय किये। स्वामी ने आगे बताया कि न्यायालय के समक्ष तर्क दिये कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित किया है। उन्होंने दोषियों को एक अनुकरणीय सजा की आवश्यकता पर जोर देते हुए

■ 200 किलो डोडा-पोस्ट चूरा बरामद हुआ था

कहा कि नशा देश के युवाओं को नष्ट कर रहा है जिस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा द्वारा आरोपियों को प्रत्येक को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में 14 साल के कठोर कारावास व 1,50,000 रुपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास धारा 468 भा.दं.सं. के लिए 5 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में तीन माह के साधारण कारावास व धारा 471 भा.दं.सं. में एक साल के कठोर कारावास 20,000 रुपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड में तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुना कर जेल भेजा।

कोटा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी टीम ने मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में दस हजार की रिश्वत लेते पकड़े गये दादाबाड़ी के दोनों कांस्टेबलों को गुरुवार को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों कांस्टेबल बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा (एसीबी) टीम ने परिवादी की शिकायत पर बुधवार रात्रि को कार्यवाही करते हुए दादाबाड़ी थाने के दो कांस्टेबल बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ को थाने में दर्ज मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी के एडीशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी में परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके बेटों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था। बेटों को बचाने की एवज में दादाबाड़ी थाने के दो कांस्टेबल

■ मारपीट के मामले में मदद करने की एवज में दस हजार की रिश्वत ली थी

बनवीर आचार्य व मनीष जांगिड़ 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यपन कराने के बाद सत्यपान में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। एडीशनल एसपी एसीबी ने बताया कि पुष्टि के बाद टीम ने जाल बिछाया और बुधवार रात्रि को ट्रैप की कार्यवाही करते हुए थाने से कुछ दूरी पर रामधाम के समीप कांस्टेबल बनवीर व मनीष को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मामले में सामने आया कि दादाबाड़ी थाने में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी को बचाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने बुधवार को रिश्वत लेते पकड़े गये दोनों कांस्टेबलों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया।

क्रशर पर मारपीट करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

खेतड़ी, (निसं)। मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा में क्रशर पर मारपीट कर मंथली को डिमांड करने की वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

■ वारदात में इस्तेमाल बाइक व बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया

■ वारदात के मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस



मेहाड़ा पुलिस ने क्रशर पर मारपीट करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने वारदात में काम में ली गई बाइक व बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि 27 मार्च को राजपाल पुत्र नागरमल सैनी निवासी मोड़ी हाल क्रशर पार्टनर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा ने रिपोर्ट पेश की कि उसके क्रशर पर करीब तीन बजे एक बाइक आयापी आई, जिस पर तीन आदमी आए। तीनों के हाथों में हथियार थे जो तीनों बाइक से उतरते ही बाहर बैठे मुनीम कैलाश के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व क्रशर को बंद करने की धमकी देकर बोले कि

क्रशर चलाना है तो 20 हजार रुपए मंथली देने होंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी भजनाराम के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश में आस-पास रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आस-पास में संभावित स्थानों हरियाणा में नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बहरोड, कोटपुतली, प्रागपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ व अहमदाबाद गुजरात में की गई व संदिग्धों से छुट्टाछाड़ की गई। टीम द्वारा आरोपियों का लगातार

पीछा कर अथक प्रयास से मुख्य आरोपी हीरा गुर्जर, बादल मीणा का सहयोग करने वाले थली निवासी सचिन पुत्र शीशराम व भोदन निवासी दीपक राठी पुत्र देवेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बाइक व बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस वारदात के मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी भजनाराम, एचसी विक्रम, कांस्टेबल रोहितारा, कर्मपाल, प्रमोद, पवन कुमार, पूनम आदि शामिल थे।

तीन किलो डोडा-पोस्ट छिलका जब्त, दो गिरफ्तार



दूध पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करो को पकड़ा।

सांभरझील, (निसं)। दूध पुलिस ने नशा कारोबार में लिप्त दो जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 किलो 72 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका जब्त किया है।

थाना अधिकारी दूध मुखेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि तैरवालों की ढाणी के पास, एचपी पेट्रोल पम्प, एनएच 48 तन पड़ासोली पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में मोटरसाइकिल लेकर खड़े हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा तो बताया गये हुलिये के दो व्यक्ति मय मोटरसाइकिल के साथ खड़े दिखाई दिये जिनका नाम-पता पृथा तो एक ने अपना नाम जीतराम गुर्जर व दूसरे ने प्रदीप

राजपुरोहित बताया जिनको डिटेन कर कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट छिलका तथा मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को जब्त कर गिरफ्तार किया। डोडा-पोस्ट की वर्तमान में अनुमानित बाजार की कीमत करीब 55 हजार 800 रुपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। आरोपी मादक पदार्थ कहां से लेकर आये थे तथा किन-किन जगहों पर सप्लाई करने की फिराक में थे इसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जायेगा। गिरफ्तार आरोपी कदमपुरा थाना बांदरसिंदरी जिला अजमेर व प्रेमनगर, केकडी थाना केकडी जिला अजमेर का रहने वाला है।

मारपीट मामले में फरार तीन आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर, (निसं)। थाना क्षेत्र के मालोड़ी की ढाणी में रास्ते को लेकर हुए विवाद में गंभीर मारपीट के मामले में पुलिस ने छह महीने से फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

थानाधिकारी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि 23 सितंबर 2024 को रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जानलेवा हमला किया था। मामले में पहले ही दोनों पक्षों से दो-दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बुधवार देर शाम को पुलिस ने टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल मालोड़ी की ढाणी निवासी दुर्गा राम पुत्र सोहन लाल सैनी, लहरी राम पुत्र चौधुराम सैनी और रतन लाल पुत्र चौधुराम सैनी को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार यह मामला लंबे समय से लंबित था और आरोपियों की तलाश जारी थी। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सूरतगढ़ में सैन्य छावनी में जवान की मौत

सूरतगढ़, (निसं)। सैन्य छावनी में सेना के एक जवान की मौत का मामला सामने आया है। मृतक दीपक यादव (31) पुत्र वकील यादव, निवासी गांव दलछपरा, थाना रेवती, जिला बलिया (बिहार) था, जो फोल्ड हॉस्पिटल मिलिट्री कोट में तैनात था। सुबह पास ही स्थित मंदिर के पुजारी ने एमटी शेड के नीचे जवान का शव फंदे से लटक देखा। उसने तुरंत सेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मामला की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

प्रारंभिक पृष्ठताछ के बाद पुलिस ने शव को मिलिट्री हॉस्पिटल में रखवा दिया। थाना सदर के एसआई सोहनलाल ने बताया कि जवान के आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि, इस मामले को लेकर सेना के अधिकारियों ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि दीपक यादव हाल ही में 20 मार्च को अपने गांव से छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीट-2022)
राज्यीय पाठ्य विद्या भवन, धर्मचक्रिका विद्यापीठ, कोटली, विजयलालपुर, अजमेर-305001 (राज.)

दिनांक : 02.04.2025
रीट-2022 परीक्षाओं को मूल ओ.एम.आर की प्रति यदि आवश्यक है तो दिनांक-17.04.2025 तक बोर्ड कार्यालय में 300/- रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ रजिस्टर्ड डाक से आवेदन या व्यक्तिगत: प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम दिनांक के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा
राज्यीय पाठ्य विद्या भवन, धर्मचक्रिका विद्यापीठ, कोटली, विजयलालपुर के सामने, जिला कोटा (राज.) फोन-324010
Phone No. 0744-2470723 Email:-dfcnmp.kot.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक: एच () 0744/2470723/2024-25/2740
दिनांक-02/04/2025-28
मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पर्यटक बहनों के पंजीकरण हेतु RFP (Request for proposal.)
मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा के वन्य जीवों के संरक्षण में पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है। विस्तृत विवरण हेतु वेबसाइट www.spp.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में एक कार्यालय में व्यक्तिगत शोकर देखा जा सकता है।
RFP Code:-FOR 2526RF0001 (सूच्य एच)
DIPRC/4680/2025 उप वन संरक्षक (वन्यजीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER, PWD, ZONE BIKANER
No.-3687 DT.-30.03.25
NIB CODE :- PWD 2425A4862
NIB NO. 03/2024-25

Bid for 01 No. RUB works Year 2024-25 Sanctioned are invited from interested bidders upto 6.00 PM at 22.04.2025 (tuesday) Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://spp.raj.nic.in>) of the state and DIPR department website. The approximate values of the procurement is Rs. 496.00 LAKHS UBN Code No. : PWD2425WSOB17446
Superintending engineer, PWD, Circle Bikaner
DIPRC/4637/2025

राजस्थान-सरकार
कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय जिला चिकित्सालय नाथद्वारा
क्रमांक:-पीएमसी/लेखा/2024-25/606 दिनांक:-28/03/2025

निविदा आमंत्रण सूचना

श्री गोपीबर्न राजकीय विद्या चिकित्सालय नाथद्वारा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न सारणीय कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी विवरण शीट के वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देख जा सकता है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	सूचीएन नंबर
1	मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।	55 लाख	MH-2425R/CBO5819
2	आयुर्वेद चिकित्सालय पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।	05 लाख	MH-2425R/CBO5821
3	जयपुर, रीवासी आइटम एवं अन्य आयुर्वेद चिकित्सालय पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।	04 लाख	MH-2425R/CBO5820
4	मानव संसाधन आयुर्वेद चिकित्सालय पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।	120 लाख	MH-2425R/CBO5818
5	केन्द्रीय चिकित्सालय पर्यटकों को आमंत्रित करने हेतु वन्य जीवों के पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।	04 लाख	MH-2425R/CBO5817

प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी एवं सचिव राजकीय जिला चिकित्सालय, नाथद्वारा
DIPRC/4612/2025

अजमेर नगर निगम ने 164 अस्थाई सफाई कर्मचारियों को काम से निकाला

अजमेर, (कासं)। नगर निगम अजमेर सफाई ठेके का बजट कम करने जा रहा है, इसके तहत 164 अस्थाई सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। गुस्सा कर्मचारियों ने गुरुवार को निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

अस्थाई सफाई कर्मचारी इन्द्रा ने बताया कि निगम में करीब चार से बीस साल तक समाज के कई लोग ठेका प्रथा पर काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन एकाएक निगम प्रशासन ने एक साथ छह वार्डों में काम करने वाले 164 ठेकाकर्मियों को बाहर कर दिया है। ऐसे में उनके परिवार के समक्ष भरण-पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। एकाएक उन्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। एक ओर महंगाई चरम पर है, वहीं निगम ने उन्हें बेरोजगार कर सड़क पर ला दिया है।

सत्री गोयार ने बताया कि पिछले



अजमेर निगम परिसर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

दिनों मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन निगम प्रशासन ने झूठे आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त कर दिया। ठेकाकर्मियों जब

काम पर लौटे तो कुछ ही दिनों बाद छह वार्डों से कर्मचारियों को निकालकर उनके हितों पर कुठाराघात किया है। गोयार ने चेतावनी दी है कि चौबीस घंटे

के भीतर निगम प्रशासन ने यदि हटाए गए 164 कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया तो सभी ठेका वार्डों में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि

■ अस्थाई सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी

■ दस से बीस साल तक कई लोग ठेका प्रथा पर काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे

■ चौबीस घंटे में हटाए गए कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया तो सभी ठेका वार्डों में हड़ताल की चेतावनी दी

डोर टू डोर कर चरचा संग्रहण करने वाले वाहन एकाएक खराब हो गए। ठेकेदार ने चालीस वाहनों के खराब होने का हवाला देते हुए उनकी हाजिरी नहीं लगाई, उन्होंने आशंका जताई है कि निगम प्रशासन एक-एक कर सभी ठेका कर्मियों को निकालने में लगा हुआ है।

पक्के वार्डों से समाजोचित किए सफाईकर्मियों - निगम सूत्रों के अनुसार अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में कच्चे और पक्के

वार्ड निर्धारित किए गए हैं। पक्के वार्डों में निगम के स्थाई कर्मचारी जबकि कच्चे वार्डों में अस्थाई कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं। पिछले दिनों सफाई के बजट को काम करते हुए निगम ने कच्चे वार्डों को पक्के वार्डों में बदलते हुए पक्के वार्डों से पांच-पांच कर्मचारियों को हटा कर नए बनाए गए वार्डों में समाजोचित किया गया है। ऐसे में इन वार्डों में काम कर रहे अस्थाई सफाई कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिक्त व नए पदों पर भर्ती की मांग

अधिकारी व कर्मचारी दो दिन की पेन डाउन हड़ताल पर, सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी

अजमेर, (कांस)। राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिक्त व नए पदों पर कार्मिक की मांग को लेकर आयोग के कर्मचारी व अधिकारी दो दिवसीय पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। गुरुवार से शुरू हुई पेन डाउन हड़ताल पर गए कार्मिकों ने कहा कि यदि उनकी मांग पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी व शासन प्रशासन की होगी। पेन डाउन हड़ताल के चलते आयोग में चल रहे इंटरव्यू, डीपीसी की बैठक, भर्ती संबंधित अभिस्तावन व रिजल्ट जारी करने सहित विभिन्न कार्य प्रभावित होंगे।

आरपीएससी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिवाकर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि आयोग में 98 नए व रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कार्मिकों द्वारा गुरुवार से दो दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। इससे आयोग में चल रही विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण इंटरव्यू, डीपीसी की बैठक, भर्ती संबंधी अभिस्तावन और रिजल्ट जारी करने सहित अन्य प्रशासनिक



आरपीएससी कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल के चलते प्रदर्शन किया।

कार्य बाधित हो गए हैं। कार्मिक 27 मार्च से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।

आयोग के कार्मिकों पर पड़ा काम का अतिरिक्त भार :-समिति के अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि आयोग में वर्ष 2025 में 80 दिन के भीतर 158 परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इन परीक्षाओं में 38 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। शर्मा का कहना

है कि विगत वर्षों में करीब 15 से 18 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाईं। स्टाफ की कमी के चलते कार्मिकों ने भारी दबाव के बीच काम किया, लेकिन इस वर्ष आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है।

आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखे, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। जिसके चलते कर्मचारियों की संख्या कम होने से

कार्यभार बढ़ गया है।

सामूहिक अवकाश की चेतावनी :-समिति के पदाधिकारियों व प्रदर्शनकारी कार्मिकों का कहना रहा कि आयोग प्रशासन से कई बार पदों में वृद्धि की मांग की गई, लेकिन आज तक सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने जल्द ही नई भर्ती के आदेश जारी नहीं किए तो कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश पर

पेन डाउन हड़ताल से आयोग में चल रही विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं

चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि आयोग में इन दिनों राजनीतिक विज्ञान के साक्षात्कार कर चल रहे हैं, जिन्हें हड़ताल से दूर रखा गया है जो कार्मिक साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े हैं, वे काम कर रहे हैं।

प्रभावित होंगी परीक्षाएं :- प्रदर्शनकारी कार्मिकों का कहना रहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे जिसके चलते आयोग में आगाम माह में होने वाली सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2023 के राजनीतिक विज्ञान के इंटरव्यू 24 मार्च से 9 अप्रैल तक चल रहे हैं। आरएसएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू 21 अप्रैल से शुरू होंगे। कृषि अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 20 अप्रैल को होना है, जिसमें 52 पदों के लिए परीक्षा प्रभावित होगी।

हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस टीम ने जयपुर पहुंचकर मुल्जिम के संभावित स्थानों पर दबीश देकर पकड़ा

खेतड़ी, (निर्स)। पचेरी कलां पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था।

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि 11 मार्च 2024 को बिजारणियां की ढाणी तन गुदागौड़जी निवासी संजय ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई राजेश कुमार पुत्र सरदार राम 10 मार्च को सुबह करीब दस बजे घर पर से निकला था। इसके बाद पचेरी थाना

आरोपी पर पुलिस ने 10 हजार रूपए का इनाम घोषित कर रखा था



पचेरी कलां पुलिस ने हत्या के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया।

मातुराम मेघवाल सहड़ का बास था। इसकी हत्या करके इनको बाबरिया बस्ती पचेरी गढ़ के पास छोड़ गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर नामजद आरोपी दयानन्द को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया तथा दस हजार रूपए के इनामी बांछित आरोपी पर्वतसिंह को तलाश के लिए टीम गठित

कर तेलंगाना हैदराबाद को खाना किया गया। इस दौरान आरोपी पर्वतसिंह का जयपुर में होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस टीम ने जयपुर पहुंचकर मुल्जिम के संभावित स्थानों पर दबीश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान टीम में थानाधिकारी राजपाल सिंह, एचसी वॉरंट, कांस्टेबल रामसिंह, कमलेश आदि शामिल थे।

हिंदुस्तान स्काउट छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाई

भीलवाड़ा, (निर्स)। भीलवाड़ा ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के तहत जी स्कूल में संचालित हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने भीलवाड़ा के आम नागरिकों से ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाइश करते हुए नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने स्काउट बालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी।

भीलवाड़ा शहर के विभिन्न चौराहों पर स्काउट के बालकों ने ट्रैफिक खुलवाया और नियमों के बारे में आम जनता को नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया। वहीं सबसे व्यस्ततम अजमेर चौराहा पर जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए, उनके चालान भी बनवाए। पुलिस कर्मियों ने बालकों को काम आयु वर्ग के बालकों के लिए कौन सा वाहन चलाना चाहिए और कौन सा नहीं इसके बारे में जानकारी दी, वहीं हमें सड़क पर चलते समय किन नियमों की पालना करनी चाहिए इसके बारे में भी स्काउट बालकों को समझाया। ट्रैफिक पुलिस



पुलिस कर्मियों ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी।

केस मीन से बालकों में और आने वाली नव युवा पीढ़ी में सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। हिंदुस्तान स्काउट छात्रों ने पुलिस की भूमिका को निभाते हुए यातायात खुलवाया और जिन नियमों के अनुसार चालान बनाना चाहिए उन लोगों का चालान भी कटवाया। हिंदुस्तान स्काउट मास्टर पवन बाबरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जी स्कूल में संचालित हिंदुस्तान स्काउट छात्रों द्वारा पुलिस कर्मियों की इस

मुहिम से कुछ दिखाई दिए और इस दौरान शपथ भी ली कि हम ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे और आने वाले समय में हम लोगों को और हमारे परिवार जनों को जागरूक करेंगे, जिससे भीलवाड़ा शहर ही नहीं पूरे जिले भर में किसी प्रकार से कोई सड़क हादसे के शिकार ना हो और गाड़ी चलाने समय सुरक्षित रहकर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।

पति की मौत के 14 साल बाद पत्नी ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया

सात परिचितों के साथ झारखंड गए थे, वहीं जहर देकर मार डालने का आरोप

पाली, (निर्स)। 14 साल पहले 2010 में एक युवक अपने सात दोस्तों के साथ धार्मिक यात्रा पर पाली से झारखंड गया। उसके दोस्तों ने लौटकर युवक की पत्नी को बताया कि वे कहाँ चले गए, पता नहीं। इस घटना के 14 साल बाद 2024 में पति की तलाश में महिला खुद झारखंड गई और पति के बारे में पता लगाना शुरू किया। जानकारी मिली कि पति होटल में मृत पाया गया था। अब महिला ने पाली के औद्योगिक नगर थाने में पति के सात दोस्तों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराया है।

औद्योगिक नगर थाने के जसवंत सिंह राजपुत्रोहित ने बताया कि पाली के पुराना हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाली मधु देवी (52) ने पति संपत राम की मौत के 14 साल बाद सात लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज

पत्नी ने पति के सात दोस्तों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराया है

कराया है। रिपोर्ट में मधु देवी ने आरोपियों पर पति को जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में मधु देवी ने बताया कि साल 2010 में मेरे पति संपत राम नवराज के दिनों में अपने 7 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले थे। घर पर यह कहकर गए थे कि 4-5 दिन में लौट आएंगे। कुछ दिन बाद उनके दोस्त लौट आए लेकिन पति नहीं लौटे। उनके दोस्तों से पूछा तो वे बोले कि सभी झारखंड के धनबाद गए थे, संपत हमसे पहले ही वहां से निकल गए थे, वे कहाँ चले गए पता नहीं। मेरा बेटा उस वकत

काफी छोटा था। परिवार में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए पति का पता नहीं लगा पाई। पाली में रह रहे लोगों के घर जाकर उनसे पूछती थी लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पति के साथ आखिर क्या हुआ? वे ज़िंदा हैं या मर गए? यह जानने के लिए मैं 3 सितम्बर 2024 को जोधपुर से ट्रेन में बैठकर झारखंड के धनबाद गई। वहां रेलवे स्टेशन पर रुकी। फिर नजदीकी थाने में पति की फोटो दिखाकर 14 साल पहले की बात बताई।

धनबाद पुलिस ने बताया कि संपतराम की बांडी धनबाद के एक होटल में 30 मार्च 2010 को मिली थी। पोस्टमॉर्टम में सामने आया कि उसकी मौत जहर से मौत हुई थी। उसके परिचितों ने बांडी ली थी और अंतिम संस्कार भी कर दिया था। महिला ने धनबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही

लेकिन कहा गया कि रिपोर्ट पाली में ही दर्ज करानी होगी। मधु देवी ने बताया कि पाली में एसपी ऑफिस से लेकर थाने में कई थककर काटे। लेकिन सबूतों के अभाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट के जरिए पाली के औद्योगिक नगर थाने में 7 जून को खिलाफ पति को लेकर जाने और जहर देकर मारने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। महिला ने औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के चिमनपुरा गांव में रहने वाली कांतादेवी, लक्ष्मण, मीना, भगवती उर्फ बबली उर्फ हंजा, पाली के टैगोर नगर निवासी श्याम, धनबाद झारखंड निवासी मनोज कुमार, धनबाद निवासी राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि घूमने ले जाने के बहाने इन लोगों ने पति को जहर देकर मार डाला।

सहकारिता मंत्री ने बैठक ली

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना खरीद के दृष्टिगत पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रक्रिया 10 अप्रैल से पहले सम्पन्न करने के प्रयास किए जाएं। दक गुरुवार को अपेक्स बैंक में इस सम्बन्ध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य आकर्षक होने की वजह से खरीद केंद्रों पर सरसों एवं चना की अधिक आवक होने की संभावना है। राज्य सरकार भी खरीद के लक्ष्य पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए खरीदी गई उपज के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इसके लिए आवश्यक हो तो प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए जाएं। साथ ही, तिलम संघ एवं बीज निगम के गोदाम भी उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाए।

ऊर्जा राज्यमंत्री ने बाबा श्याम के दर्शन किए



ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया।

सीकर, (निर्स)। ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर गुरुवार को खाटूश्यामजी पहुंचे और उन्होंने खाटूश्यामजी मंदिर में पूजा-दर्शन किए। इस दौरान श्री श्याम मंदिर केटी अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत रूप से पूजा-अर्चना करवाई तथा श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया।

ऊर्जा राज्यमंत्री नागर ने श्याम मंदिर में दर्शन के बाद जिले के अधिकारियों से विभागीय चर्चा कर

भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ऊर्जा विभाग लगातार प्रयासरत है तथा जो भी यहां के सुझाव होंगे उन्हें राज्य सरकार को भेजकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान अधीक्षक अभियन्ता विद्युत अरुण जोशी, डीवाईएसपी रींगस संजय बोथरा, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, मंदिर केटी के सदस्य प्रताप सिंह चौहान, विद्युत विभाग के अधिकारी-कार्मिक मौजूद रहे।

गायब मोबाइल ढूंढ निकालेगा रेलवे सुरक्षा बल

जयपुर। रेल यात्रियों के गुमशुदा या गायब मोबाइल फोन को ढूंढ निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दूरसंचार विभाग से हाथ मिलाया है। इसके तहत आरपीएफ ने दूरसंचार विभाग के सेंट्रल इन्विजमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीआईआईआर) पोर्टल के साथ सफल साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) में एक पायलट प्रोग्राम की सफलता के बाद यह पहल की गई है। भारतीय रेल द्वारा इस पहल को पूरे भारत में लागू किए जाने के बाद करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा। अपना गुम मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए यात्री इसकी रिपोर्टों रेल मदद या 139 डायल के जरिए कर सकते हैं। यदि यात्री एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते, तो उन्हें सीआईआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प मिलेगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए कैलादेवी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया

मंदिर के सोल ट्रस्टी के पुत्र युवराज विवशवत पाल ने निरीक्षण कर निर्देश दिए

करोली, (निर्स)। आने वाली दुर्गा अष्टमी पर कैलादेवी मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर के सोल ट्रस्टी के पुत्र युवराज विवशवत पाल ने यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर का निरीक्षण कर ट्रस्ट प्रबंधन को विशेष दिशा निर्देश दिए।

इन दिनों उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल आस्था धाम कैलादेवी में चल रहे मेले के दौरान शुक्रवार सप्तमी और शनिवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी कृष्णचंद्र पाल

के पुत्र विवशवत पाल गुरुवार को प्रातः कैलादेवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माला रानी के दर्शन कर क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली की मनोनीती मांगी। इसके पश्चात मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, प्रबंधक प्रशासन चन्द्रकांत कुडतकर, प्रबंधक स्थापना प्रदीप द्विवेदी, कार्यकारी अधिकारी किशन पाल सिंह जादीन, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन कल्याण सिंह, कैलादेवी मेला मंदिर कंट्रोल रूम प्रभारी एडवोकेट संतोष सिंह, मुख्य परिचालन अधिकारी मंदिर ट्रस्ट विवेक द्विवेदी के साथ मंदिर चौक में पहुंचे, जहां रेलिंग में लगा रहे दर्शनार्थियों से व्यवस्था सुधार में और

क्या किया जाए को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को सप्तमी और शनिवार को पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी की भीड़ को देखते हुए पूरी रेलिंग में पीने के पानी की जगह-जगह बोतलें रखवाकर निशुल्क वितरण करवाने, दोपहर के समय गर्मी के मौसम को देखते हुए हवा के लिए पंखे और कूलर लगवाने के अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कैलादेवी मंदिर में मेले के दौरान अपनी सेवार्थ दे रहे स्काउट गाइड के बालकों से चर्चा करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाये और किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

चोरी के शक में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई

कोटा, (निर्स)। कुन्हाडी इलाके में मंदिर में चोरी के शक में पेड़ से बांधकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को मुक्त कराया और मानसिक रूप से विमर्दित व्यक्ति को अपना घर संस्था में भिजवाया गया। बाद में पुलिस टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि गुरुवार को कुन्हाडी थाने में सूचना मिली कि इलाके के लैडमार्क सिटी में एक व्यक्ति को चोर समझकर पेड़ से बांध रखा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर काफी भीड़ जमा थी और एक व्यक्ति को पकड़ रखा था। शहर एसपी ने बताया कि लोगों ने पुलिस को

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को मुक्त कराया

मानसिक रूप से विमर्दित व्यक्ति को अपना घर संस्था में भिजवाया

बताया कि व्यक्ति ने मंदिर के सामान को बाहर फेंक दिया जो मंदिर के समीप नहर पर पड़े हुए थे। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर उक्त व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम धनराम (46) निवासी झांसी बताया लेकिन मंदिर आने का कारण पूछा तो वह कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति मानसिक रोगी प्रतीत हुआ उसे टीम थाने ले आई

और उक्त व्यक्ति को अपना घर संस्थान में दाखिल कराया। उक्त व्यक्ति के परिजनों की तलाश की जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी ने लिखित रिपोर्ट दी थी कि एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति मंदिर में घुस गया। वहां रखे कपड़े उठाकर इशर-उशर फैला दिये व मंदिर के सामान को भी अस्त-व्यस्त कर दिया। उक्त व्यक्ति द्वारा जो सामान फैलाया गया था वह पूरा मिल गया। मंदिर में किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। शहर एसपी ने बताया कि इसी घटनाक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उक्त व्यक्ति पेड़ से बांधा हुआ था और उससे कुछ जने मारपीट कर रहे थे। वायरल वीडियो की पड़ताल कर पहचान के आधार पर बड़ोद निवासी रवि मेघवाल को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं बंधक से मारपीट करने वाले दो अन्य के बारे में पूछताछ जारी है।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। बपावर पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के पास से अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजोत शंकर ने बताया कि एक अप्रैल को फरियादी देशराज ने बपावर कलां थाने पर रिपोर्ट दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि बेलदारी का काम करता है। 29 मार्च को खेत पर मोटरसाइकिल लेकर गया था मोटरसाइकिल को रोड के किनारे खड़ी कर खेत में रखवाली कर रहा था, कुछ समय बाद खेत से वापस आया तो उसको उसकी मोटरसाइकिल मौके पर नहीं मिली। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मौके पर विनोद लक्षकार, रोहित माली और कल्लू कुशवाह घुमते हुए नजर आये। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसे संदेह है कि तीनों ही उसकी



चोरी की मोटरसाइकिल सहित चार जनों को गिरफ्तार किया।

मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गये। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस

व साइबर टीम द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबरी से सूचना मिली

कि दो जने बपावर कलां व मोईकलां क्षेत्र में चोरी की वारदात करने की फिराक में घूम रहे हैं। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मुखबरी की सूचना

चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की

पर उपनिरीक्षक थानाधिकारी अभय सिंह व साइबर टीम के सहायक उपनिरीक्षक भुपेन्द्र हाडा के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर खाना की गई। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि टीम ने कार्यवाही करते हुए बपावर कलां निवासी विनोद लक्षकार (20) एवं सचिन नागर (21) को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गये दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलों को भी बरामद की गई। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करने में गठित टीम के हैंड कांस्टेबल रामानन्द और कांस्टेबल शंभूसिंह की अहम भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने भागवत कथा सुनी

जयपुर, 3 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को वैशाली नगर स्थित 'गोविन्द धाम' जानकी पैराडाइज में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा सुनना सौभाग्य की बात है।

भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्रीकृष्ण के साक्षात् स्वरूप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। शर्मा ने युवा पीढ़ी का आवाहन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात् करे। इस अवसर पर वे भव्य आरती (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक, विधायक शत्रुघ्न, गोपाल शर्मा, बालमुकुंददाचार्य, अशोक परनामी सहित, संत, साध्वी व बड़ी संख्या में लोगों ने कथा का श्रवण किया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वैशाली नगर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और कथावाचक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद लिया।

'चीन के साथ सामान्य स्थिति से पहले हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए'

कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं

राहुल ने कहा, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है।

शहादत का जश्न मनाया जा रहा है, केक काटकर। हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सामान्य स्थिति से पहले हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि वह विदेश नीति के मामले में न तो बायें झुकेंगी और न ही दायें झुकेंगी, वह भारतीय हैं, वह सौधी खड़ी होंगी। उन्होंने कहा, हम सब

इतिहास जानते हैं, जब भाजपा और आरएसएस से ऐसा ही सवाल पूछा जायेगा, तो वे सामने वाले के आगे सिर झुका लेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, हमारे सहयोगी (अमेरिका) ने अचानक हमारे ऊपर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। यह हमारे आँटों और कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डालेगा।

दिल्ली -एनसीआर में पटाखों पर साल भर बैन

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर सालभर का प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, और

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि हर घर में एयर प्यूरीफायर नहीं होता, इसलिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

केवल 3-4 महीनों के लिए प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट की बैच ने कहा कि दिल्ली में सभी लोगों के पास एयर प्यूरीफायर नहीं होता, और प्रदूषण से आम जनता की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दीवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: प.बंगाल में 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द रहेगी

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर गुरुवार को मुहर लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 'दूषित' और 'सुधार से परे दायरदार' घोषित किया।

अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधार नहीं जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कुछ निर्देशों में संशोधन किया। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो उम्मीदवार पहले

- हाईकोर्ट के, पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।
- अदालत ने कहा, पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी तथा इसे सुधार नहीं जा सकता।

कहीं और कार्यरत थे, उन्हें अपने पिछले पदों पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन महीने की अवधि के भीतर चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा। शीर्ष अदालत का यह फैसला राज्य की ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

खंडवा में कुएं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हो गई। सभी 8 शकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शुक्रवार को शकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ही एसडीआरएफ का 15 सदस्यीय दल भी मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू टीम रस्सी और जाली लेकर कुएं में उतरी और शकों को बाहर निकाला।

वनरक्षक भर्ती, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आरोपी होना पाया गया। वह बाड़मेर के गुडामलानी के रामजी का गोल कस्बा में ग्रेड थर्ड टीचर है। जांच में नाम सामने आने पर आरोपी टीचर जबराम फरार हो गया। उसके तमाम ठिकानों पर दबिश देने पर भी आरोपी पकड़ में नहीं आया। इसलिए एसओजी ने फरार आरोपी जबराम जाट पर 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है।

एक ही झटके में ट्रम्प अमेरिका को 17वीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रहेगी। क्योंकि अमेरिका को निर्यात भारत की जोड़ीपी का मात्र 2 प्रतिशत है जिसे आसानी से मैनज किया जा सकता है। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव सभी देशों पर अलग-अलग होगा। भारत पर 26 प्रतिशत तो चीन पर 54 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिकन टैरिफ भारतीय निर्यातों पर प्रभाव चीन की तुलना में आधे से भी कम होगा। कोशिश करके भारतीय निर्यातक अभी भी लागतों को नियंत्रित करने और नवीतम टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन चीन के लिए यह एक बहुत कठिन कार्य होगा। दूसरे, चीन अमेरिका को निर्यात पर भारत की तुलना में कहीं अधिक निर्भर है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि ज्ञात है, घरेलू मांग द्वारा संचालित है, जबकि चीनी अर्थव्यवस्था निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, चीन के पास अपनी घरेलू आवश्यकताओं से दोगुना स्टील उत्पादन क्षमता है। इसलिए, चीनी स्टील उद्योग

के अस्तित्व के लिए उसे निर्यात करना पड़ता है। कुछ देश और भी अधिक कमजोर हैं, क्योंकि वे कुछ चयनित वस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा है, जो अब तक न्यूनतम या पूरी तरह से छूट प्राप्त थी। बांग्लादेश की कपड़ों के निर्यात पर निर्भरता को देखते हुए, और विशेष रूप से कम तौलन क्षेत्रों में भारत के अमेरिका को निर्यात को लाभ हो सकता है। प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का मानना है कि कृषि क्षेत्र में टैरिफ संरचना को देखते हुए भारतीय उत्पादकों को कुछ स्पष्ट लाभ मिलता है और अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात में वृद्धि हो सकती है। दूसरे, फार्मास्यूटिकल निर्यातक उत्साहित महसूस कर रहे हैं। टैरिफ ने दवा उद्योग को प्रभावित नहीं किया है।

अमेरिका में भारतीय दवाओं की अच्छी मांग है, और उन्हें वर्तमान टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। सस्ते होने के कारण भारतीय दवा उद्योग यह काफी आगे है। तीसरे, वस्त्र और दूरसंचार निर्यात के कुछ खंड प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों पर उच्च टैरिफ लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, चीन और वियतनाम पर अब कहीं अधिक टैरिफ लागू किए गए हैं। इसके अलावा, भारत अपने निर्माण क्षेत्र को भी पीएलआई योजनाओं के साथ बढ़ा सकता है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में कम लागत वाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका सभी वस्तुओं का आयात पूरी तरह से बंद कर देगा। जब दुनिया ट्रम्प के टैरिफ के अनुसार समायोजित हो रही है, तो अनपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। देशों को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। देश नए अवसर देखेंगे। वैश्विक व्यापार ने निस्संदेह अद्वितीय विकास और प्रगति को जन्म दिया है। इन्हीं से कई प्रोत्साहक कारक लुप्त हो

'अमेरिका छींकता है, तो विश्व को ज़ुकाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एस.), इन्फोसिस और विप्रो जैसे उद्योग दिग्गज शामिल हैं, जो बड़े हुए टैरिफ के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाले इस क्षेत्र को, यू.एस. मार्केट में प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है, जिसका, अनुबंध वार्ताओं और बाजार की हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल उद्योग, जिसका अमेरिका को निर्यात लगभग 24 बिलियन डॉलर मूल्य का है, भी संभावित झटकों का सामना कर सकता है। उच्च शुल्क के कारण भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे वे अमेरिकी खरीदारों के लिए कम आकर्षक हो सकते हैं और लाभ के मार्जिन पर असर डाल सकते हैं। इसी तरह, वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो भारत के निर्यात पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अमेरिकी बाजार में अपनी बहुत खो सकता है। ऊँचा टैरिफ, मांग और राजस्व को कम कर सकता है, जिससे भारतीय निर्माता अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा, मसाले, चावल, और चाय जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात उच्च

कीमतों के कारण कम प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं, जिससे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर और अधिक दबाव पड़ेगा। भारत पर लगाए गए तथाकथित "छूट वाले" टैरिफ का श्रेय भारतीय सरकार के सक्रिय प्रयासों को दिया जा सकता है, जिसके तहत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ के संभावित परिणामों को संशोधित किया है। भारत ने संभावित व्यापार तनावों को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक संबंधों, बाजार पहुंच बढ़ाने, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों ने "मिशन 500" पहल के तहत, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत "गुगल कर" को रद्द कर दिया, जिससे सहज वार्ता को सुविधाजनक बनाने की इच्छा के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा, भारत ने

अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों, जैसे बादाम, कैनबरी और बर्बन व्हिस्की पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सके। प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय निर्यातक संभवतः बाजारों में विविधता लाने, उत्पाद मूल्य बढ़ाने, और लागत दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नए व्यापार समझौतों और साझेदारियों की संभावना ढूँढने से भी निर्यात मात्रा बनाए रखने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम करने के वैकल्पिक मार्ग मिल सकते हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत प्रत्युत्तर शुल्क (रैसिप्रोकल टैरिफ) की घोषणा भारत के निर्यात क्षेत्रों के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, लेकिन भारतीय सरकार की सक्रिय सहभागिता और रणनीतिक पहल व्यापारिक मुद्दों को सहजपूर्ण ढंग से हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विकसित होते व्यापार परिदृश्य में निरंतर संवाद और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि वैश्व व्यापार में भारत की स्थिति को बनाए रखा जाए तथा और अधिक मजबूत किया जा सके।

जयपुर जिंदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साक्षिण कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।

पाकिस्तान से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई। श्रीकरणपुर थापाधिकारी रामप्रताप वर्मा ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच गजसिंहपुर थाना प्रभारी शीर कौर को सौंपी गई है। बीएसएफ ने जांच के बाद ड्रेन और हेरोइन का पैकेट श्रीकरणपुर पुलिस को सौंप दिया है।

विपक्ष ने राज्यसभा में बड़ी जोशीली बहस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संविधान पर किये गये इस हमले का निशाना आज तो मुस्लिम हैं, लेकिन भविष्य में यह अन्य समुदायों को निशाना बनाने की पूर्वघटना तथा नजीर का काम करेगा। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का घोर विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर ही हमला है तथा अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, का उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने विपक्ष के सकारात्मक सुझावों को दरकिनार कर दिया और जेडी (यू) तथा टीडीपी जैसे मित्र दलों पर दबाव डालने की सीमा तक चली गई, लेकिन इंडिया ब्लाॅक में शामिल सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया। यह विधेयक, जो राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी तथा उसके मित्र दलों के संख्या बल के चलते पारित हो जायेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडी (यू), तथा आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के लिये, मुस्लिमों में अपना समर्थन बनाये रखने के मामले में, एक कड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अनुभवी राजनैतिक पर्यवेक्षक, जिसने इस प्रक्रिका की बात हुई, एकमत होकर कह रहे हैं कि इन दोनों दलों ने राजनैतिक आत्मघात किया है।

विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को नजरअंदाज करते हुये, रिजिजू ने कहा, "यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है।..... हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों पर निगरानी रखना है, उनका प्रबंधन करना नहीं।" विपक्षी सदस्यों से समर्थन माँगते हुये, रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य पूर्व सरकारों के अपूर्ण कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कांग्रेस तथा उसके मित्र दलों से वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील करते हुये कहा कि पूर्ववर्ती कमेटियों द्वारा की गई सिफारिशों को इस नये संशोधित विधेयक में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नये कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी पंथों के साथ ही पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि "हम इसे और अधिक समावेशी बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि "प्रस्तावित सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कुल 22 सदस्यों में, चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कम से कम दो महिला सदस्य होंगे। स्टेट वक्फ बोर्डों के कुल 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।" सचकर कमेटी, जिसने सिफारिश की थी कि सेंट्रल वक्फ कार्डिसल तथा

स्टेट वक्फ बोर्ड को विस्तार देकर, इन्हें समावेशी बनाया जाये, का हवाला देते हुये, उन्होंने सदन को सूचित किया कि कमेटी के आकलन के अनुसार, 2006 में 4.9 लाख सम्पत्तियों से 12000 रूपए की आय थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूखंड को केवल इस मौखिक आधार पर वक्फ सम्पत्ति होने का दावा करता है कि 500 साल पहले उसके पूर्वजों ने इस वक्फ कर दिया, तो वह इस पर दावा करनेके लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे कुछ साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा, "यूजर द्वारा वक्फ की सम्पत्ति का दावा मनमानी से नहीं हो सकता। इसके अलावा, धारा 40 के तहत, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है, तो यह स्वतः ही वक्फ प्रोपर्टी घोषित हो जायेगी। हमने इस प्रावधान को हटा दिया है, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी था।" उन्होंने यह कहते हुये कि वक्फ ने केरल के एक गाँव को अधिगृहीत करने की कोशिश की थी, केरल के सभी सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि केरल में, 600 ईसाई परिवार, जो सभी किसान हैं, अपनी जमीन गँवा चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल से आपका अधिकार नहीं

मिलता है, तो आप "अपील के अधिकार" के तहत, अदालत में याचिका पेश कर सकते हैं। रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों को ऊपर उठाने वाला, अपील का अधिकार देने वाला तथा यह सुनिश्चित करने वाला है कि परिशिष्ट 5 और 6 के तहत आने वाली जमीन पर वक्फ नियमों के तहत दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद सुलझेंगे तथा जमीन-अधिकार सुरक्षित होंगे। मंत्री ने कहा कि संबंधित जेपीसी ने, अब तक बनाई गई किसी भी अन्य जेपीसी की तुलना में ज्यादा व्यापक काम किया है। उन्होंने कहा, "विभिन्न क्षेत्रों के कुल 284 संगठनों और प्रतिष्ठानों ने अपने विचार एवं सुझाव दिये थे। एक करोड़ से अधिक लोगों ने जेपीसी तथा मंत्रालय में अपनी राय दर्ज कराने के लिये ज्ञापन दिये थे।" रिजिजू ने कहा कि "सरकार ने यह विधेयक अच्छे उद्देश्यों से पेश किया है तथा इसे "यूएमईडी" (उमीद) नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस नाम से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।" सरकार ने इस विधेयक को नया नाम "यूनिफाइड वक्फ एम्पावरमेंट, एफिसिएन्सी एंड डेवलपमेंट (यूएमईडी) बिल" दिया है।

कल्याण
ज्वे ल र्स

UP TO **50% OFF**
ON MAKING CHARGES*
THIS SEASON

KALYAN SPECIAL 1g GOLD RATE ₹8560** | SAVE ₹190 per gm | MARKET 1g GOLD RATE ₹8750**

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: AJMER ROAD - CRM NO.: 73405 61233, VAISHALI NAGAR - CRM NO.: 91158 03333 | UDAIPUR - CRM NO.: 88756 78133
JODHPUR - CRM NO.: 94133 12103 | KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933
SRI GANGANAGAR - CRM NO.: 74249 65433 | AJMER - CRM NO.: 77424 13156

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON @FB BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET